राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 115/2022

लालचन्द मोरोडिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, अलवर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, Umrain, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.01.2022
आदेश की दिनांक : 11.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.1991 के बजाय दिनांक 05.01.1991 से सेवा लाभ आदि दिये जावें और समस्त वेतन वृद्धि एवं वेतन जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान किये गये हैं, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.1998 की पालना में आदेश दिनांक 01.01.1991 को नियुक्त किया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 05.01.1991 को कार्यग्रहण किया तथा 2 वर्ष की परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उसे दिनांक 01.07.1993 को कंफर्म किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के समान कार्मिक श्री कन्हैयालाल मीणा जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.1991 को हुई थी और कार्यग्रहण दिनांक 04.01.1991 को किया तथा दिनांक 04.01.1993 से उनकी सेवायें

कंफर्म की गई। परंतु अपीलार्थी को समस्त लाभ नहीं दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 29.07.2019 को विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उचित निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 07.10.1982 प्रस्तुत किया, जिसमें यह स्पष्ट है कि यदि परिवीक्षाधीन अध्यापक की नियुक्ति एक संस्थाई पद के विरूद्ध की जाती है, इन पर राजस्थान नियमों के नियम 97 में दिये गये राजकीय निर्णय संख्या 1 लागू नहीं होता है। यदि किसी परिवीक्षाधीन अध्यापक की नियुक्ति 31/12 के बाद की जाती है तो भी इन्हें ग्रीष्मावकाश का वेतन देय होगा। परंतु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11141/2020 राजेन्द्र कुमार करवासरा व अन्य बनाम शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.11.2020 जिसमें ग्रीष्मावकाश की अवधि का वेतन एवं ग्रीष्मावकाश अवधि की गणना नहीं करना सही नहीं माना है एवं उक्त याचिका स्वीकार कर प्रार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग को नियमानुसार उचित रूप से निस्तारित करने का निर्देश प्रदान किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त प्रकरण के समान समस्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रदान नहीं किये गये हैं। जबकि माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में इसी के समान तथ्यों वाले प्रकरण अपील संख्या 429/2005 श्री बंसत कुमार शर्मा बनाम निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2014 द्वारा अपील स्वीकार कर प्रार्थी को नियुक्ति दिनांक से ही समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जाने का आदेश किये गये हैं। इस प्रकार अपीलार्थी का मामला भी उक्त मामले के समान है और अपीलार्थी भी नियुक्ति दिनांक से ही समस्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक से समस्त लाभ प्रदान नहीं किया गया जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.12.2021 को न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.1991 के बजाय दिनांक 05.01.1991 से सेवा लाभ आदि दिये जावें और समस्त वेतन वृद्धि एवं वेतन जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान किये गये हैं, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को नवीन सत्र 1991–92 हेतु

कार्यालय आदेश दिनांक 01.07.1991 जारी कर 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति प्रदान की गई तथा परिवीक्षा पूर्ण किये जाने पर दिनांक 01.07.1993 से राज्य सेवा में स्थायीकरण किया गया। अपीलार्थी विभाग द्वारा जारी आदेशों में अंकित शर्तों एवं प्रावधानों को अंगीकार व स्वीकार कर निरंतर सेवा में कार्यरत रहते विधि अनुसार देय सेवा संबंधित लाभ एवं परिलाभ आहरित करता आ रहा है और लगभग 31 वर्ष बाद बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुये उक्त अपील अनावश्यक लाभ प्राप्ति के प्रयास में प्रस्तुत की गई, जो निरर्थक है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.1998 की पालना में आदेश दिनांक 01.01.1991 को नियुक्त किया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 05.01.1991 को कार्यग्रहण किया तथा 2 वर्ष की परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उसे दिनांक 01.07.1993 को स्थायी किया गया। अपीलार्थी के समान कार्मिक श्री कन्हैयालाल मीणा जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.1991 को हुई थी और कार्यग्रहण दिनांक 04.01.1991 को किया तथा दिनांक 04.01.1993 से उसकी सेवायें स्थायी की गईं और 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उसे वेतन वृद्धियां आदेश दिनांक 27.01.1993 द्वारा स्वीकृत की गईं, जो अनुलग्नक–4 से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, परंतु अपीलार्थी को उक्त समस्त लाभों से वंचित रखा गया। जबकि अपीलार्थी को जुलाई 1993 से स्थायी किया गया जिसमें ग्रीष्मावकाश अवधि को नहीं जोडा गया जबकि अपीलार्थी ने जनवरी, 1991 में कार्यग्रहण किया था। फिर भी उसे 7 माह विलम्ब से स्थायी किया गया, जो नियम विरूद्ध है। जहां तक अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति दिनांक 05.01.1991 से गणना करते हुये समस्त लाभ एवं नियुक्ति दिनांक से ग्रीष्मावकाश का वेतन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 02.01.1991 के द्वारा हुई थी और उसे 2 वर्ष की परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर स्थायी किया गया, जो दिनांक 01.07.1993 को राज्य सेवा में स्थायीकरण किया गया। जबकि हमारे मत में अपीलार्थी को कार्यग्रहण तिथी दिनांक 05.01.1993 से स्थायीकरण किया जाना चाहिये था, जो 7 माह विलम्ब से किया गया है। जबकि अनुलग्नक–4 के अवलोकन से कार्मिक श्री कन्हैयालाल मीणा की सेवा पुस्तिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कार्मिक को दिनांक 03.01.1991 द्वारा नियुक्ति दी गई और उसने दिनांक 04.01.1991 को मध्यान्ह् पश्चात् कार्यग्रहण

किया तथा आदेश दिनांक 27.01.1993 द्वारा 2 वर्ष का परिवीक्षा काल समाप्ति पर वेतन वृद्धियां स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी ने भी कार्यग्रहण दिनांक 05.01.1991 को किया, परंतु उसे दिनांक 01.07.1993 से स्थायी किये जाने का उल्लेख सेवा पुस्तिका में किया गया है, जो लगभग 7 माह बाद स्थायीकरण माना गया। जबकि दोनो कार्मिकों ने जनवरी माह में कार्यग्रहण किया और अपीलार्थी को ग्रीष्मावकाश पश्चात् जुलाई से वेतन देना एवं स्थायीकरण भी माह जुलाई, 1993 से किया गया, जो उचित प्रकट नहीं होता है। जबकि अपीलार्थी भी समस्त सेवा लाभ परिवीक्षा काल पूर्ण होने की दिनांक 05.01.1993 से प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11141/2020 राजेन्द्र कुमार करवासरा व अन्य बनाम शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.11.2020 जिसमें ग्रीष्मावकाश की अवधि का वेतन एवं ग्रीष्मावकाश अवधि की गणना नहीं करने के संबंध में निर्देश देते हुये प्रार्थीगण को विस्तृत अभ्यावेदन विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को नियमानुसार उस पर विचार करते हुये निस्तारण के निर्देश दिये। इस प्रकार हम यह उचित नहीं समझते हैं कि एक कार्मिक को जिसकी नियुक्ति जनवरी, 1991 में हुई और 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उसे जनवरी, 1993 से समस्त सेवा लाभ आदि प्रदान किये गये हैं। जबकि अपीलार्थी को जनवरी, 1991 को नियुक्ति हुई और 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण पश्चात् जुलाई, 1993 से समस्त सेवा लाभ आदि प्रदान किये गये हैं, जो 7 माह पश्चात् दिये गये हैं, जो नियमानुसार उचित प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को नियुक्ति/कार्यग्रहण दिनांक 05.01.1991 से 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 01.07.1993 के बजाय दिनांक 05.01.1993 से समस्त सेवा लाभ आदि नियमानुसार प्रदान किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)